पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 112/2019

अनवान :

सन्तलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 32/31 के मु0नं0 60 के किला नं0 6, 7, 12, 13 14 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.9470 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी देवीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 39/30 के मु0नं0 50 के किला नं0 18/1, 19 ता 22, 23/1 कुल किता 6 की 1.4920 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी देवीलाल वल्द जीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में से देवीलाल के नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 31/31 की प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम दर्ज 2.2770 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम यथावत् रहेगी। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

27.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 112/2019

अनवान :

सन्तलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**

वकील श्री सुरजीत बिजारिणया**: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 27.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 32/31 के मु0नं0 60 के किला नं0 6, 7, 12, 13, 14 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.9470 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी देवीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 39/30 के मु0नं0 50 के किला नं0 18/1, 19 ता 22, 23/1 कुल किता 6 की 1.4920 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी देवीलाल वल्द जीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि में से चक 4 डीपीएन की खातेदारी वादी के दादा जीराम के समय की खातेदारी है तथा जीराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होने एवं वादभूमि दादालाई होने के चलते वादी का जन्म से हक हिस्सा होने के चलते उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतनमें मिली थी परन्तु प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली। इसी वादभूमि एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आय आमदनी से चक 5 डीपीएन की

27.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी को खरीद किया गया था जिसमे वादी भी हक एवं अधिकार निहित है परन्तु चक 5 डीपीएन की खातेदारी भी कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी देवीलाल के नाम से ही दर्ज आ रही है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का वादभूमि की बाबत पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादी के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर उसी पारिवारिक सैटलमेन्ट में उक्त दोनों खातों की भूमि वादी के हिस्सा में आ गई तथा प्रतिवादी देवीलाल के हिस्सा में चक 1 एनटीआर के खाता सं0 31/31 की 2.277 है0 नहरी भूमि जो प्रतिवादी देवीलाल के नाम से ही दर्ज है, वह प्रतिवादी देवीलाल के हिस्सा में आ गई थी। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी देवीलाल की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु कुल वादभूमि आज भी तन्हा देवीलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सन्तलाल पुत्र देवीलाल के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 डीपीएन खाता सं0 32/31 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 दीपलाना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम 5 दीपलाना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 5 डीपीएन खाता सं0 39/30 सम्वत् 2071 से 74 प्रपर्श 5, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 एनटीआर खाता सं0 31/31 सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है तथा चक 5 डीपीएन की वाद कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आय आमदनी से अर्जित है जिसके चलते वादी का जन्म से हक हिस्सा बनता है। वाद कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी, परन्तु प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली, जिसमे वादी का भी हक एवं अधिकार निहित है परन्तु चक 5 डीपीएन की खातेदारी भी कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी देवीलाल के नाम से ही दर्ज आ रही है। इस प्रकान मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4 व 5 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा व बहस में वाद कृषि भूमि पैत्रक व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय

27.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आमदनी से अर्जित सम्पति होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 डीपीएन खाता सं0 32/31 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 4 दीपलाना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम 5 दीपलाना सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 5 डीपीएन खाता सं0 39/30 सम्वत् 2071 से 74 प्रपर्श 5, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 एनटीआर खाता सं0 31/31 सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है जिसमें जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 4 दीपलाना प्रदर्श 3 में वाद भूमि वादी के दादा जीराम वल्द राउ के नाम दर्ज है जिससे उक्त चक 4 दीपलाना की कृषि भूमि दादालाई होना साबित है तथा वाद भूमि की बाबत वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से परिवार की सुख शांति बरकरार रखने के लिए राजीनामा कर लिया है तथा मुताबिक राजीनामा पक्षकारान ने यह सहमति प्रकट की है कि चक 4 व 5 डीपीएन की कृषि भूमि वादी संतलाल के नाम रहेगी। चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 एनडीआर खाता सं0 31/31 सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श 6 में प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम दर्ज 2.2770 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम यथावत् रहेगी। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में देवीलाल के वारिसान में पत्नी दुर्गादेवी, एक पुत्र संतलाल व दो पुत्रियां सरोज व संतोष होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। वादी के वाद का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 32/31 के मु0नं0 60 के किला नं0 6, 7, 12, 13 व 14 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.9470 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी देवीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता सं0 39/30 के मु0नं0 50 के किला नं0 18/1, 19 ता 22, 23/1 कुल किता 6 की 1.4920 है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी देवीलाल वल्द जीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में से देवीलाल के नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 31/31 की प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम दर्ज 2.2770 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम यथावत् रहेगी। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़